

Meeting No. 3

Date:- 04/10/2017

Time:- 2:30 Pm

Place:- धरधोडा

कार्यवृत्त

आज महाविद्यालय में गठित Anti-Ragging में चर्चा उप समिति की बैठक संपन्न हुई इस बैठक में चर्चा उपरान्त निम्नलिखित बातें हुई: —

(01) सम्स्त विद्यार्थियों को बतलाया जाय कि महाविद्यालय परिसर में रैगिंग पूर्णतः वर्जित है. रैगिंग लेना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है. महाविद्यालय को कोई भी विद्यार्थी अगर रैगिंग में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

(02) महाविद्यालय के सम्स्त विद्यार्थियों को बतलाया जाय कि अगर किसी विद्यार्थी को रैगिंग संबंधी कोई भी समस्या हो वो सीधे महाविद्यालय के रैगिंग समिति के पास अपना शिकायत दर्ज कराएँ।

Bansal  
Kumar

Bansal  
Bansal

Principal  
Govt. College Gharghoda  
Distt. Raigarh (C.G.)

नोट:-

शैक्षणिक सत्र 2017-18 में शासकीय महाविद्यालय धरधोडा जिला - रायगढ़ (क.ग.) में किसी भी विद्यार्थी द्वारा रैगिंग की शिकायत Anti Ragging समिति के पास दर्ज नहीं की गई।

Kumar

Bansal  
Bansal

Principal  
Govt. College Gharghoda  
Distt. Raigarh (C.G.)

31-01-2018